रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2016/आषाढ़ 9, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 88
No. 131]	DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2016/ASADHA 9, 1938,	[N.C.T.D. No. 88

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 जून, 2016

सं. 16(488)/श.वि./जल/2015/1049.1050.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अन्तर्गत दिनांक 28.09.2013 को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड में **कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी)** के पद पर नियुक्ति हेतु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए निम्न भर्ती तथा पदोन्नति विनियम इसके द्वारा सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्–

दिल्ली जल बोर्ड में कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) के पद के भर्ती तथा पदोन्नति विनियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** –(1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड **कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी)** के पद के भर्ती विनियम 2016 कहा जाये।
2. **अनुप्रयोग**.—ये इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 01 में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड एवं ग्रेड पे/ वेतनमान**.––उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं**.––उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
5. **अयोग्यता**.––कोई भी व्यक्ति
   (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है, या
   (ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि दिल्ली जल बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

6. **छूट प्रदान करने की शक्ति**.––जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

7. **बचाव**.––इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

8. **निरसन**.––शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 25.09.2008 की अधिसूचना संख्या फा. 16(451)/श0वि0/जल/2004/2038 इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से निरस्त समझी जायेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी)
2.	पदों की संख्या	:	214 (2014) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी "ख"
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे /वेतनमान	:	वेतन समूह–2 में 9300–34800/–रुपये (ग्रेड पे 4200/–रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं **नोट 1**:– केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय । **नोट 2**:– आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है तथा असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	**अनिवार्य** :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/ संस्थान से विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा सहित विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी कार्य में योजना, निष्पादन तथा रखरखाव में दो वर्ष का अनुभव **नोट 1**:– अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। **नोट 2**:– यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नही
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से (1) 10 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा (2) 90प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा संचालित विद्युत या यांत्रिकी अभियांत्रिकी में डिप्लोमा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले तथा पाच वर्ष की नियमित सेवा सहित में ग्रेड पे 1800/–, 1900/–, 2400/– तथा 2800/–रुपये सहित पे बैंड-1 में समूह "ग" कर्मचारियों के बीच में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा 10प्रतिशत। जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति

			(अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	"ख" वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समिति 1. निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक) –अध्यक्ष 2. मुख्य अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिकी) – सदस्य 3. सहायक आयुक्त – सदस्य
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश से
तथा उनके नाम पर

आर. सी. केसरवानी, सहायक निदेशक (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 27th June, 2016

No. 16(488)/UD/W/2015/1049-1050.—The following Recruitment and promotion Regulations made by the Delhi Water Board under clause(m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) vide Competent Authority orders dated 28.09.2013, that Regulations for appointment to the post of Junior Engineer (Electrical/Mechanical) in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published below for general information, namely:—

RECRUITMENT AND PROMOTION REGULATIONS FOR THE POST OF JUNIOR ENGINEER (ELECTRICAL/MECHANICAL) IN DELHI JAL BOARD, DELHI.

1. **Short title and commencement** - These regulations may be called the Junior Engineer (Electrical/Mechanical) in Delhi Jal Board Recruitment and promotion Regulations, 2016.

2. **Application.**—They shall apply to the post specified in column No. 1 of the schedule hereto annexed.

3. **Number of posts, Classification and Pay Band and Grade Pay/ scale of pay** - The number of posts, their classification and Pay Band and Grade Pay/ scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications** - The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,

   (a) Who has entered or contracted a marriage with person having a spouse living; or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Delhi Water Board, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. Power to Relax.—Where the Government of National Capital Territory of Delhi is to the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order, for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these Regulations shall affect reservations, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

8. Repeal.—Urban Development Department, GNCTD Notification F.16 (451)/UD/W/2004/2038 dated 25.09.2008 stands superseded from the date of issue of this notification

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Junior Engineer (Electrical/Mechanical).	214 (2014) Subject to variation dependent on workload.	Category 'B'	PB-2, Rs. 9300-34,800/- (Grade pay of Rs. 4200/-).	Selection.	Not exceeding 30 years. **Note1:** Relaxable for govt. servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pardesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of J&K State Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pardesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational & other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Essential: Degree in Electrical/ Mechanical Engineering from a recognised university OR Three years Diploma in Electrical/ Mechanical Engineering from a recognized	Not applicable	Two Years for direct recruits.	10% by promotion through limited departmental competitive examination. 90% by direct recruitment. 10% by promotion on the basis of limited departmental competitive examination from amongst Group 'C' employees in Pay Band-1 with Grade Pay of Rs. 1800/-, 1900/-, 2400/-, and 2800/- with 5 years regular service

University/ Board/ Institution plus Two years experience in planning, execution and maintenance of Electrical/ Mechanical engineering works. **Note 1:** Qualifications are relax-able at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **NOTE 2:** The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes OR Scheduled Tribes if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			and possessing the minimum educational qualification of Diploma in Electrical or Mechanical Engineering conducted by Delhi Jal Board, failing which by Deputation(ISTC).

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not applicable.	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee.** 1.Director (A&P) -Chairman 2.Chief Engineer(E&M) - Member 3.Assistant Commissioner - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

By Order and in the name of Government of National Capital Territory of Delhi.

R. C. KESARWANI, Asstt. Director (Water)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.